23/3/22

पत्रावली प्राप्त हुई। वकील आवेदी एवं प्रार्थी को आमने सामने बैठाकर कोई समझौता नहीं करवाया आमने सामने बैठाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को अलिखित कर आमने लगाई गई। कि हिंसात्मक घटना आगे नहीं करेंगे। अतः प्रार्थना पत्र पेश अग्रिम जमानत हेतु सहायक कलक्टर अलवर के समक्ष है। मेरे विचार वकील साहिबान सुनना है।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)